संख्या-06/एफ1-3010/2015 श्र०सं०

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

अशोक कुमार सिंह

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

महालेखाकार,

वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक -

विषयः बीड़ी निर्माण श्रमिकों के गृह निर्माण हेतु संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2007 के वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वयन हेतु राज्य योजनान्तर्गत 1000 बीड़ी श्रमिकों के लिए प्रति आवास ₹ 4000/-(₹ चार हजार)मात्र अनुदान की दर से सहायक अनुदान मद के रूप में प्रावधानित कुल ₹ 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर अवधि विस्तार/व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय संसाधित योजना "बीड़ी श्रमिकों के गृह निर्माण" मद में बीड़ी श्रमिकों के प्रति मकान अंशदान ₹ 5000/- में से प्रति मकान ₹ 4000/- (रूपये चार हजार) मात्र के अनुदान की दर से 1000 बीड़ी श्रमिकों के लिए कुल ₹ 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर वित्त विभाग के संकल्प सं0- 96 वि0 (2) दिनांक 03.01.2008 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अवधि विस्तार को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. यह चालू योजना है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभागीय पत्रांक-1463 दिनांक 26.5.14 द्वारा इस योजना की स्वीकृति दी गयी है ।

3. इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी "आय-व्ययक शीर्ष-2230 श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-109-बीड़ी कर्मकार कल्याण-मांग सं०- 26-उपशीर्ष 0101 बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु (विपत्र कोड- पी 2230011090101) राज्य योजना स्कीम कोड-LAB 5232 के अन्तर्गत "चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट में उपबंधित इकाई सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा (31-06) से विकलनीय होगी। इस योजना के अन्तर्गत बजट उपबंध एवं उद्व्यय स्वीकृत है।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे ।

5. इसकी निकासी संबंधित जिला कोषागार से होगी ।

6. प्रस्ताव स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त है ।

7. योजना के अवधि विस्तार/व्यय पर प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

8. योजना के अवधि विस्तार/व्यय पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

9. इस राशि की विमुक्ति भारत सरकार द्वारा अपने अंश के अनुदान की राशि विमुक्त होने के उपरांत की जायेगी ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञाप संख्या-06/एफ1-3010/2015 श्र0सं0:- पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कल्याण आयुक्त, करमा, पोस्ट झुमरीतिलैया जिला-कोडरमा (झारखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञाप संख्या-06/एफ1-3010/2015 श्र0सं0- 2689 पटना, दिनांक 27-8-15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ श्रमायुक्त, बिहार/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना / आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा-4 (श्रम पक्ष) / प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

26/8/15